देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्रमांकः सं.वि.क./छा.सं.चु./2017–18/189 दिनांकः– 18/11/2017

प्रति,

1. जिला कलेक्टर, इन्दौर,
2. जिला कलेक्टर, खरगोन,
3. जिला कलेक्टर, बडवानी,
4. जिला कलेक्टर, खण्डवा
5. जिला कलेक्टर, अलीराजपुर,
6. जिला कलेक्टर, झाबुआ,
7. जिला कलेक्टर, बुरहानपुर,
8. जिला कलेक्टर, धार,

विषय :– छात्रसंघ के निर्वाचन 2017–18 के लिए व्यवस्था करने विषयक।

संदर्भ :– म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव से प्राप्त पत्र क्रमांक

2031/सीसी/2017/38–2 भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2017

महोदय,

उपरोक्त सदर्भित विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश के समस्त पराम्परागत विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रसंघ निर्वाचन दिनांक 27 नवम्बर 2017 को संम्पन्न होना है, तथा निर्वाचन कार्यक्रम की अवधि 8 दिवस (20 नवम्बर से 27 नवम्बर 2017) की होगी।

अतः देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में द्वितीय चरण के अंतर्गत छात्रसंघ निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिये संबंधितों को आदेश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण गोपनीयता के साथ शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न हो सके।

संलग्न : मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा से प्राप्त
पत्र की छायाप्रति ।

कुलसचिव/
नोडल अधिकारी

क्रमांकः सं.वि.क./छा.सं.चु./2017–18/189 दिनांकः– 18/11/2017

प्रतिलिपी :–

1. अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, जिला इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ ।
3. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

(14)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

क्रमांक/2031 /सीसी/2017/38–2, भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2017

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक (06) विश्वविद्यालय, म.प्र.।
2. कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर म.प्र.।
3. समस्त संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
4. प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।

विषयः प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त (अशासकीय) महाविद्यालयों में दिनॉक 20 नवम्बर, 2017 से छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया 2017–18 विषयक।

संदर्भः1. म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शी सिद्वान्त संबंधी पत्र 1875/252/सीसी/17/38/17 ,दिनांक 12.10.2017 एवं आदेश क्र 1886/252/2017 /38–2, दिनांक 13.10.2017, स्पष्टीकरण आदेश क्र. 1897/252/17/38–2, दिनांक 18.10.2017, स्पष्टीकरण आदेश क्र. 1913/252/17/38–2, 24/25.10.2017 एवं स्पष्टीकरण आदेश क्र. 1933/252/17/38–2, 2610.2017,

2. आयुक्त, उच्च शिक्षा के छात्रसंघ निर्वाचन हेतु विभिन्न उत्तरदायित्वों के आवंटन संबंधित आदेश, आदेश क्र. 894/ 116/शाखा–5'अ'/आउशि/2017, दिनांक 13.10.2017क्र. 1256/116/ शाखा–5'अ'/आउशि/2017 दिनांक, 13/16.10.2017 एवं आदेश क्र. 894/ 116/शाखा–5'अ'/आउशि/2017, दिनांक 18.10.2017

–0–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 सम्पन्न कराये जाने हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रसंघ निर्वाचन से संबंधित निम्न कार्यवाही भी की जाना हैः–

1. विश्वविद्यालयों के कुलसचिव निर्वाचन नोडल अधिकारी होंगे तथा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं अग्रणी प्राचार्य सहयोग करेंगे। निर्वाचन कार्य के लिए म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका– 2017–18 में दिए गए संदर्भित समस्त आदेशों, एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर छात्रसंघ निर्वाचन की समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाना है। केवल निम्न बिन्दुओं की कार्यवाही इस प्रकार होगीः–
    - 1.1 समस्त संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक अशासकीय महाविद्यालय में शासकीय महाविद्यालयों से छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी की तत्काल नियुक्ति करेंगे ताकि समय–सारणी अनुसार कार्य प्रारंभ हो सके।
    - 1.2 मतदाता सूची पर प्राप्त दावे/आपत्ति के विषय में गंभीर शिकायतों पर अंतिम निर्णय।
    - 1.3 नामांकन पत्र के अमान्य/मान्य किए जाने की स्थिति में गंभीर आपत्ति का निराकरण।
    - 1.4 निर्वाचन पत्र एवं मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण।
    - 1.5 मतदान मतगणना का पर्यवेक्षण
    - 1.6 महाविद्यालय द्वारा मतगणना उपरान्त परिणामों का संकलन निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अनुमोदनोपरान्त परिणाम घोषित किया जाए।

निरन्तर.2

(3/4)

1.7 विशेष परिस्थितियों में निष्पक्ष एवं निर्विरोध निर्वाचन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित/निरस्त करने का अधिकार रहेगा एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को जानकारी प्रेषित करेंगे।

(नोटः सामान्यतः निजी महाविद्यालय का प्रबंधन निर्वाचन संबंधी सभी कार्य करेगे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर किसी भी प्रकरण को स्वयं बुलाकर उसका निर्णय नियमावली अनुसार कर सकेंगे, जो महाविद्यालय छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बाध्यकारी होगा)।

2. छात्रसंघ निर्वाचन के लिए <u>संलग्न समय-सारणी</u> अनुसार विभिन्न चरणों की बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. संरक्षक/प्राचार्य द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन द्वितीय चरण के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को अधिसूचना जारी कर दी जाए एवं अधिसूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाए।

4. शैक्षणिक परिसरों में कानून व्यवस्था हेतु जिले के कलेक्टर के माध्यम से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाना है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया गोपनीयता के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न हो सके इस हेतु संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति हेतु जिले के कलेक्टर से सम्पर्क कर कार्यवाही पूर्ण करायेंगे। समस्त अग्रणी प्राचार्य निर्वाचन कार्य पूर्ण होने पर अकादमिक शाखा की ईमेल पर जिले की एकजाई संक्षिप्त जानकारी संलग्न एक्सेल फॉरमेट में (प्रपत्र 1-अ, ब) में दिनांक 27.11.17 को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

समस्त कुलसचिव एवं संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा निम्न कार्य करेंगे:-

5. निर्वाचन अधिसूचना से तीन दिवस पूर्व समस्त निर्वाचन पूर्व तैयारियों का रिव्यू कुलसचिव एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक करेंगे।
6. निर्वाचन कार्य हेतु राज्य शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
7. निर्वाचन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परिणामों की एकजाई पूर्ण जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूपो में साफ्ट कॉपी में एवं तीन-तीन हार्ड कॉपी में दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेजी जाना सुनिश्चित करें।
8. संभागीय कार्यालय में दिनांक 18 नवम्बर, 2017 से एक कंट्रोल रूम की स्थापना करें जिसमें छात्रसंघ निर्वाचन कार्य से संबंधित समस्त जानकारियों, निर्वाचन अधिकारियों के नाम, महाविद्यालय का नाम, मोबाइल नम्बर, ई-मेल का पता से संबंधित जानकारी उपलब्ध रखी जाए तथा निर्वाचन अधिकारियों की पूर्ण जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय एवं कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराई जाए।
9. क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में छात्रसंघ निर्वाचन से संबंधित किसी भी तरह की अनियमितता अथवा मार्गदर्शिका सत्र 2017-18 में दिए गए निर्देशों के उल्लघंन की शिकायत प्राप्त होती है या गोपनीयता भंग होती है तो ऐसी स्थिति में कुलसचिव/संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन कार्य स्थगित/निरस्त कर सकते हैं एवं अनुमोदन शासन से प्राप्त करेंगे।

10. निर्वाचन की दृष्टि से समस्त संवेदनशील महाविद्यालयों को चिन्हित कर इनकी तत्काल सूची तैयार की जावे एवं सूचियों को समस्त प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उन्हें इसकी जानकारी दें ताकि कानून व्यवस्था के साथ निष्पक्ष निर्वाचन कार्य सम्पन्न हो सके। इसकी एक प्रति तत्काल कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा के अकादमिक शाखा के मेल <u>academy-he@gov.mp.in</u> पर भी दी जावे।

निरन्तर...3

(3/4)

11 संबंधित कुलसचिव समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 को द्वितीय चरण सम्पन्न करने हेतु आवश्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे एवं चाही गई जानकारी समय–सीमा में शासन को उपलब्ध करायेंगे।

12. छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 द्वितीय चरण हेतु उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय/संचालनालय के अधिकारियों/समस्त संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा को संदर्भित आदेशों के तहत पूर्व में प्रथम चरण में दी गई जिम्मेदारियाँ यथावत रहेंगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए एवं छात्रसंघ निर्वाचन की कार्यवाही समय–सीमा में सम्पन्न की जाए।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2017

पृ० क्रमांक /2032 सीसी/17/38/2017,
प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मान. राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, म.प्र.।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान. मंत्री/राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. कुलपतिगण, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, म.प्र.।
6. वि.क.अ. सह–आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जहाँगीराबाद, भोपाल, म.प्र.।
8. अधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र.।
9. समस्त संबंधित अधिकारी/वि.क.अ. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय /संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
10. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.।
12. समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र. की ओर कि निर्वाचन परिणाम की जानकारी अनिवार्यतः दिनांक 27.11.2017 तक भेजना सुनिश्चित करें।
13. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

............की ओर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छात्रसंघ गठन हेतु निर्वाचन की समय सारिणी

	दिनांक	समय	कार्यक्रम विवरण
	20.11.2017	11:00 प्रातः 3.00 अपरान्हतक	(अ)महा. में प्राचार्य/संरक्षक द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी करना (ब) छात्रसंघ गठन के लिए पदों के आरक्षण की घोषणा।
2	21.11.2017	11:00 से 05:00 सायंतक	महाविद्यालय में क्रमशः विभागवार/कक्षावार मतदाताओं की सूची तैयार करना।
3	22.11.2017	04:00 से 05:00 सायंतक	महाविद्यालय में कक्षावार मतदाताओं की सूची का प्रकाशन।
4	23.11.2017	11:00 से 03:00 अपरान्हतक	मतदाताओं की प्रकाशित सूची पर दावा/आपत्ति।
5	24.11.2017	05:00 सायंतक	मतदाताओं की संशोधित अंतिम (वैध) सूची का प्रकाशन।
6	25.11.2017	10:00 से 11:00 प्रातः तक	महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशियों का नामांकन।
		11:00 से 12:00 मध्यान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		12:00 से 12:30 अपरान्हतक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		12:30 से 01:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		01:00 से 02:00 अपरान्हतक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:00 से 02:30 अपरान्हतक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		02:30 से 03:30 अपरान्हतक	महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन।
		03:30 अपरान्ह से कार्यपूर्ण तक	जिन कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन नहीं हुआ है उन कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर संरक्षक द्वारा मनोनयन कर सूची जारी करना। महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतपत्र तैयार करना/मतदान केन्द्रों का निर्माण।
7	26.11.2017	05:00 सायं से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित।	महाविद्यालय के कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के द्वार छात्रसंघ गठन के लिए प्रचार–प्रसार।
8	27.11.2017	08:00 से 10:00 प्रातः तक	महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान।
		10:00 प्रातः से 10:30 तक	कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		11:00 मध्यानसे 12.00 बजे तक	गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की एकजाई अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। इन मतदाताओं के द्वारा ही पदाधिकारियों को मतदान किया जाएगा।
		12:00 से 01:00 अपरान्हतक	महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों का नामांकन।
		01:00 से 01:30 अपरान्हतक	पदाधिकारी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		01:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		01:30 से 02:00 अपरान्हतक	पदाधिकारी प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		02:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:30 से 03:00 अपरान्हतक	पदाधिकारी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		03:00 बजेसे 03:30 अपरान्ह तक	महाविधालय मेंपदाधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन।
		03:30 से 04:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारियों के लिए मतदान।
		04:30 अपरान्हसे	पदाधिकारियों के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		परिणाम घोषणा के उपरान्त तत्काल	छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण। नोट : महाविद्यालय के निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों /पदाधिकारियों के परिणामों एवं पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषण।